चित्रकूट-पुलिस

(1).

"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5"

"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve

Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी व प्रभारी एएनटीएफ प्रयागराज टीम द्वारा 04 अभियुक्तों को 80 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा, 02 अदद कार महिन्दा बोलेरो व मारुति
सियाज व 02 अदद मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के नाम पता का विवरण-
1.रवि शिवहरे पुत्र फूलचन्द्र शिवहरे निवासी मोहल्ला गुरहाथोक मटौंध थाना मटौंध जिला बांदा
2.गंगाराम कुशवाहा पुत्र जयपाल निवासी कुशवाहा मोहल्ला परसहां थाना कबरई जिला महोबा
3.सत्यप्रकाश शिवहरे उर्फ सोनू शिवहरे पुत्र स्व० राम कृपाल शिवहरे निवासी मोहल्ला हरसिन थोक मटौंध थाना मटौंध जिला बांदा
4.हरिशचन्द्र शिवहरे पुत्र स्व०घासीराम शिवहरे निवासी परम कालोनी नवगांव थाना नवगांव जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश

बरामदगी-
1.भूरे टेप से पैक किये गये 40 पैकेट गांजा(कुल 80 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा)
2.02 अदद कार महिन्दा बोलेरो व मारुति सियाज
3.02 अदद मोबाइल फोन
संक्षिप्त विवरण-
आज दिनाँक 05.11.025 को उ0नि0 श्री सत्येन्द्र प्रधान प्रभारी एएनटीएफ प्रयागराज को जरिये मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि सोनू शिवहरे नाम का व्यक्ति अपने तीन साथियों के साथ दो कारों में जिसमें एक मारुति सियाज सफेद रंग की नं0 UP16BL4816 तथा दूसरी काले रंग की महिन्द्रा बोलेरो नं0 MP16ZH0383 से उड़ीसा से गांजा लेकर जनपद बांदा के किसी गांव मे सप्लाई देने आने वाला है। मुखबिर से वार्ता के उपरान्त उसे साथ लेकर कस्बा मऊ से मुखबिर द्वारा बताये गये रास्ते से चलकर जनपद के थाना मारकुण्डी अन्तर्गत मनगवां गांव के पास सड़क पर रुककर व प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी अवगत कराकर मनगवां गांव के पास सड़क पर तेज रफ्तार से चलती हुई काली व सफेद गाड़ियों का पीछा कर डोड़ामाफी मोड़ पर कार सवार दो-दो व्यक्तियों को रोक लिया गया। रोके गये व्यक्तियो से नाम पता पूछा तो आगे की सफेद रंग की मारुति सियाज के ड्राइवर सीट पर बैठे पहले व्यक्ति ने अपना नाम रवि शिवहरे पुत्र फूलचन्द्र शिवहरे निवासी मोहल्ला गुरहाथोक मटौंध थाना मटौंध जिला बांदा बताया तथा कार मे बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम गंगाराम कुशवाहा पुत्र जयपाल निवासी कुशवाहा मोहल्ला परसहां थाना कबरई जिला महोबा तथा पीछे रोकी गई काले रंग की महिन्दा बोलेरो कार के ड्राइविंग सीट पर बैठे तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम सत्यप्रकाश शिवहरे उर्फ सोनू शिवहरे पुत्र स्व० राम कृपाल शिवहरे निवासी मोहल्ला हरसिन थोक मटौंध थाना मटौंध जिला बांदा बताया तथा कार में बैठे चौथे व्यक्ति ने अपना नाम हरिशचन्द्र शिवहरे पुत्र स्व०घासीराम शिवहरे निवासी परम कालोनी नवगांव थाना नवगांव जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश बताया। जब उनसे तेज रफ्तार मे गाड़ियां चलाने का कारण पूछा गया तो चारों व्यक्तियो ने बताया कि हम गाड़ियों से उड़ीसा से गांजा लेकर बांदा मे सप्लाई करते है। इसके पहले भी इन्ही कारों से हम लोग कई बार गांजा सप्लाई कर चुके है। चारों व्यक्तियों द्वारा उनकी उक्त दोंनो कारों मे केबिन/स्किन/कैविटी व सीटे के

अन्दर गांजा होने की बात बताई। चारो व्यक्तियो की क्षेत्राधिकारी मऊ के निर्देशन में तलाशी कराई गयी तो क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन मे रोके गये चारों व्यक्तियो की तलाशी कराई गयी तो पहले व्यक्ति रवि शिवहरे पुत्र फूलचन्द्र शिवहरे उपरोक्त पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से कुल 1100 रुपये बरामद हुए तथा दूसरे व्यक्ति गंगाराम कुशवाहा पुत्र जयपाल उपरोक्त की सर्ट की जेब मे कुल 200 रुपये व पहने पैन्ट की बांयी जेब से ग्रे रंग का नोकिया का कीपैड मोबाइल प्राप्त हुआ जिसका आईएमईआइ नम्बर 358998294789964/3 है । तीसरे व्यक्ति सत्यप्रकाश शिवहरे उर्फ सोनू शिवहरे उपरोक्त की पहने पैन्ट की बाई जेब से कुल 1500 रुपये व दाहिनी जेब से क्रीम कलर का लावा कम्पनी का एन्ड्रायड फोन जिसका आईएमईआइ नम्बर 355986380551300 है बरामद हुआ व चौथे व्यक्ति हरिशचन्द्र शिवहरे पुत्र स्व० घासीराम शिवहरे उपरोक्त से पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से कुल 510 रुपये बरामद हुए। तदोपरान्त क्षेत्राधिकारी मऊ द्वारा पहले मारुति सियाज के चालक व बैठे दूसरे व्यक्ति से उक्त कार मे छिपा कर रखे गये गांजा को निकालने के लिये कहा गया तो रवि शिवहरे व गंगाराम कुशवाहा उपरोक्त द्वारा मारुति सियाज की पिछली सीट के नीचे बने केबिन /स्किन को खोलकर कार की पिछली सीट हटाकर भूरे टेप से पैक किये गये 40 पैकेट निकाल कर दिये गये। । परिवहन में प्रयुक्त उक्त दोनों कारों के रजिस्ट्रेशन नम्बर को ईचालान ऐप के माध्यम से चेक किया गया तो मारुति सियाज नं0 UP16BL4816 रवि पुत्र फूलचन्द्र निवासी घुरहा ठोक, मटौंध बांदा उ0प्र0 210001 के नाम पर पंजीकृत है तथा वाहन महिन्दा बोलेरो नं0 MP16ZH0383 हरिश्चन्द्र शिवहरे पुत्र श्रीघासी राम शिवहरे निवासी वार्ड नं0 19, परम कालोनी, नौगांव छतरपुर म0प्र0 471201 के नाम पर पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 48/25 धारा 8/20,29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली थाना मारकुण्डी पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री निशिकान्त राय

2.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह

3.का0 मंगला प्रशाद

4.हे0का0 चालक देवीदीन शाहू

गिरफ्तार करने वाली एएनटीएफ प्रयागराज टीम-

1.उ0नि0 श्री सत्येन्द्र प्रधान प्रभारी एएनटीएफ

2.उ0नि0 मनीष कुमार सिंह

3.हे0का0 धीरेन्द्र राय मय

4.हे0का0 राजेश यादव

5.हे०का० सत्येश राय

6.का० आशीष यादव